

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद  
विशेष सत्र वाद सं० 672/2003  
राज्य बनाम भूप सिंह

मु०अ०सं० 87/2003,  
धारा 364, 302, 201 भा०द०सं० व  
धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,  
थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद।

**दिनांक 29-09-2023**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित है।

प्रस्तुत प्रकरण सन् 2003 से लम्बित है। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त भूप सिंह के विरुद्ध दिनांक 28-06-2005 को आरोप विरचित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त भूप सिंह अंतिम बार दिनांक 05-05-2017 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। तब से लेकर अब तक कुल लगभग 70 से अधिक तिथिया उसकी उपस्थिति के लिए निर्धारित की गयी। परिणाम स्वरूप उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अनेकों बार गैर जमानतीय अधिपत्र (N.B.W.) निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को भी पत्र लिखे गये। ग्राम पंचायत जाजूमई की रिपोर्ट भी आदेशिका के साथ वापस प्रेषित की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि अभियुक्त पिछले 10 वर्षों से गाँव छोड़कर कहीं चला गया है। अभियुक्त की लम्बी अनुपस्थिति को देखते हुए अभियोजन को निर्देशित किया गया है कि वह आवश्यक साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय के आदेश अनुपालन में अभियोजन द्वारा कुल 06 साक्षियों को परीक्षित किया जा चुका है।

**धारा 299 द०प्र०सं० 1973 में निम्न आशय के प्रावधान किये गये हैं- यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरन्त गिरफ्तार किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है तो उस अपराध के लिए, जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का (विचारण करने के लिए) या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्षियों की (यदि कोई हो,) उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सका है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर, उस अपराध की जांच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर गया है, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या मिल नहीं सकता है या उसकी हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, जितनी कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है।**

अभियोजन द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि अभियुक्त भूप सिंह पुत्र लालाराम जाटव, निवासी- जाजूमई, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद फरार हो चुका है और उसके तुरन्त गिरफ्तार किये जाने कि कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में

अभियोजन द्वारा आवश्यक साक्षियों को परीक्षित किया गया। न्यायालय का यह समाधान है कि निकट भविष्य में अभियुक्त भूप सिंह के उपस्थित होने की संभावना क्षीण है वह फरार हो चुका है, उसे भगौड़ा घोषित किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण सन् 2003 से लम्बित है। लगभग 20 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और प्राचीनतम वादों में से एक है। अभियुक्त के जामींदारों के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद पृथक रूप से दर्ज किया गया।

मामले के तथ्यों परिस्थितियों में अभियुक्त भूप सिंह को फरार घोषित किया जाता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उसके विरुद्ध स्थाई गैर जमानतीय अधिपत्र (N.B.W.) निर्गत किया जाये। स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि जब तक अभियुक्त भूप सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित न हो जाये तब तक वारण्ट को अपने पास रखकर उसका निष्पादन सुनिश्चित करें। उसके विरुद्ध स्थाई रूप से गैर-जमानतीय अधिपत्र (N.B.W.) का निष्पादन कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये। मामले के तथ्यों परिस्थितियों में धारा 299 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद की पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाये। अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित होने तक विचारण की कार्यवाही स्थगित मानी जायेगी। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये और अभियुक्त के उपस्थित होने पर पुनः पत्रावली आहूत की जायेगी। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को प्रेषित की जाये।

(इफराक अहमद)

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,  
फिरोजाबाद।